सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुलसिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 103 / 2019 दायर दिनाँक 27.03.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद सलीम पुत्र जब्बार कुरेशी जाति व्यापारी निवासी डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. मोहम्मद फारूक पुत्र दीन मोहम्मद जाति व्यापारी निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादी।

दिनाँक 23.10.2019

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, खसरा सं0 2777 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 2778 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद डीडवाना में अवस्थित है।

उक्त समस्त भूमियों की खातेदारी व कब्जा काश्त प्रार्थी की खरीद करने के समय से लेकर आज दिन तक है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी व एक श्री मोहम्मद फारूक पुत्र दीन मोहम्मद के द्वारा मोहनलाल पुत्र छोगालाल व महादेव पुत्र पांचीराम जाति सुनार निवासी डीडवाना से दिनांक 03.11.1976 को खरीद कर दिनांक 01.12.1976 को विक्रय पत्र पंजीयन करवाया गया था तथा उक्त भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचाण से प्रार्थी व सहखातेदार श्री मोहम्मद फारूक के नाम से संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण दर्ज हुई। परन्तु राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवंश प्रार्थी का नाम मो0 सवालीन पुत्र अब्दुल जब्बार के नाम का अंकन हो गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम पुत्र जब्बार कुरेशी ही है और वह इसी नाम से जाना व पहचाना जाता रहा है। राजकीय अभिलेख यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक व खरीद रजिस्ट्री में भी प्रार्थी का नाम मोहम्मद सलीम ही दर्ज है। वह

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 103/2019
दायर दिनाँक 27.03.2019, निर्णय दिनाँक 23.10.2019
मोहम्मद सलीम बनाम् तहसीलदार डीडवाना।

हमेशा मोहम्मद सलीम के नाम से जाना पहचाना जाता है। दस्तावेजात व खरीद रजिस्ट्री की छाया प्रतियां पेश है।

प्रार्थना वादी है कि खसरा सं0 2777 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 2778 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद डीडवाना में मो0 सवालीन पुत्र अब्दुल जब्बार के स्थान पर मोहम्मद सलीम पुत्र जब्बार कुरेशी का राजस्व रेकर्ड में अंकन करने की डिक्री आदेश जारी करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 02 बावजुद तामिली के अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी तहसीलदार का जवाब प्राप्त हुआ। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 2777 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 2778 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद डीडवाना में मो0 सवालीन पुत्र अब्दुल जब्बार के स्थान पर मोहम्मद सलीम पुत्र जब्बार कुरेशी दुरूस्त किया जाना उचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक व खरीद रजिस्ट्री में भी प्रार्थी का नाम मोहम्मद सलीम ही दर्ज है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, निम्न आदेशानुसार डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद डीडवाना के खसरा सं0 2777 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 2778 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा में मो0 सवालीन पुत्र अब्दुल जब्बार के स्थान पर मोहम्मद सलीम पुत्र जब्बार कुरेशी दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(अंशुलसिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **23.10.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुलसिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुलसिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 103/2019 दायर दिनाँक 27.03.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद सलीम पुत्र जब्बार कुरेशी जाति व्यापारी निवासी डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान—सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. मोहम्मद फारूक पुत्र दीन मोहम्मद जाति व्यापारी निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

दिनाँक 23.10.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद डीडवाना के खसरा सं0 2777 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 2778 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा में मो0 सवालीन पुत्र अब्दुल जब्बार के स्थान पर मोहम्मद सलीम पुत्र जब्बार कुरेशी दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—...... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.10.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—103—2019 / रीडर / 2019 /   दिनाँक

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्

रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद सलीम पुत्र जब्बार कुरेशी जाति व्यापारी निवासी डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. राजस्थान—सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. मोहम्मद फारूक पुत्र दीन मोहम्मद जाति व्यापारी निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2019.11.27 12:13:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: